कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/4024 /कोरोना सेल/2021 — रायगढ़, दिनांक 04/05/2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3756/कोरोना सेल/2021 दिनांक 17.04.2021 सहपठित आदेश क्रमांक 3809/कोरोना सेल/2021 दिनांक 19.04.2021एवं आदेश क्रमांक 3843/कोरोना सेल/2021 दिनांक 21.04.2021 एवं आदेश क्रमांक 3899/कोरोना सेल/2021, दिनांक 24–04–2021 के माध्यम से रायगढ़ जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 06.05.2021 प्रातः 06'00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला रायगढ़ में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

रायगढ़ जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामों का आकलन करने पर तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त परामर्श अनुसार कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण रायगढ़ जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3756/कोरोना सेल/2021 दिनांक 17.04.2021 सहपठित आदेश क्रमांक 3809/कोरोना सेल/2021 दिनांक 19.04.2021, आदेश क्रमांक 3843/कोरोना सेल/2021 दिनांक 21.04.2021 एवं आदेश क्रमांक 3899/कोरोना सेल/2021, दिनांक 24–04–2021 को अधिक्रमित करते हुए **रायगढ़ जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 16.05.2021 रात्रि 12:00 बजे तक निम्नलिखित शर्तो के साथ कंटेनमेंट घोषित किया जाता है।**

शर्ते :–

(1) कृषि क्षेत्र, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी और उनकी मरम्मत के लिए दुकानों/गोदामों के खोलने एवं उर्वरक ट्रकों की आवाजाही प्रातः 6:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक की अनुमति होगी।

(2) किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः06.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिक–अप/मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी।

(3) दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री की होम डिलीवरी के माध्यम से बिना दुकान खोले की जा सकेगी। मॉल एवं सुपर मार्केट पूर्णतः बंद रहेंगे।

(4) बैंक और डाकघर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सभी प्रकार के व्यपारिक लेन–देन के लिए खोलने की अनुमति होगी।

(5) डाक/डाक सेवाएं (कोरियर) के लिए अनुमति रहेगी। ई–कामर्स की सेवाएं बंद रहेगी।

(6) इलेक्ट्रीशियन/प्लंबर/ए.सी. कुलर/सेनेटरी फिटिंग की घरेलु सेवायें/मरम्मत की अनुमति होगी। उपरोक्त दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी।

(7) एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयॉ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें।

(8) फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली, डेयरी एवं डेयरी उत्पाद प्रातः06.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिक–अप/मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी।

(9) दुग्ध पार्लर व दुग्ध–वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नही खोले जायेगें। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।

(10) आटा चक्की की दुकानें प्रातः 06:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

(11) रजिस्ट्री कार्यालय (पंजीयन ऑफिस) न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ) गाईड लाईन के अनुसार खोलने की अनुमति होगी।

क्रमशः ...

Scanned by TapScanner

(12) ऑन लाईन होम सर्विस/डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी। रेस्टोरेंट/होटल में डायनिंग एवं टेक–अवे की फेसिलिटी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

(13) सभी शासकीय विभागों (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मनरेगा इत्यादि) के श्रम मूलक कार्य की अनुमति सायं 05:00 बजे तक होगी। निजी कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं रहेगी।

(14) सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

(15) रायगढ़ जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध–सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे तथा लोड–अनलोडिंग के कार्य रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक की जा सकेगी।

(16) उक्तावधि के प्रत्येक रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं (हॉस्पिटल/क्लिनिकल/मेडिकल सेवाओं) को छोड़कर समस्त प्रकार की गतिविधियॉ पूर्णतः बंद रहेगी।

(17) उक्त कंटेनमेण्ट की अवधि में बाजार/होटल एवं रेस्टोरेंट/विवाह स्थल/मॉल/क्लब/स्वीमिंग पुल/सुपर मार्केट/सभी धार्मिक स्थल/कोचिंग क्लासेस/स्कूल एवं महाविद्यालय (विद्यार्थियों के लिए)/पान एवं सिगरेट दुकानें/शराब की दुकानें/पर्यटन स्थल/मोबाईल शॉप/नाई दुकाने/उद्यान/मंडी (लोडिंग/अनलोडिंग की अवधि को छोड़कर)/जीम/सामुदायिक आयोजन पूर्णतः बंद रहेंगे।

(18) यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत, समस्त जनपद पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), कमान्डेंट होम गार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

(19) राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

(20) उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त शेष शर्ते पूर्ववत यथावत रहेंगे।

(21) इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश दिनांक 06.05.2021 प्रातः 06:00 बजे से लागू होगा।

(भीम सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़(छ0ग0)

Scanned by TapScanner

पृ.क्रमांक / 4024 / कोरोना सेल / 2021 रायगढ़, दिनांक 04 / 05 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
5. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
6. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासुपर

——की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
8. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया जिले के इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, राशन दुकानों (होम सर्विस हेतु) इत्यादि के मो0नं0 संग्रहित कर समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना सुनिश्चित करें।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़
12. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़
14. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़
15. खाद्य अधिकारी, रायगढ़
16. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत जिला रायगढ़
17. सर्व थाना प्रभारी, जिला रायगढ़

——— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

18. जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। रायगढ़ जिला अन्तर्गत आवागमन के दौरान वाहनों के संबंध में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
19. उप संचालक, जनसंपर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़(छ.ग.)

Scanned by TapScanner